रामसिंह / भगवानाराम मु.न. 119/2015

दिनांक	आज्ञा पत्र	
27/2/25	पत्रावली पेश। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट व अधिवक्ता अपीलांट को बार-2 आवाज दिलाई गई। न्यायालय समय सायं 6 बजे तक बार-2 आवाज दिलाने के बावजूद अपीलांट व अधिवक्ता अपीलांट हाजिर नहीं आया इंतजार किया गया। पत्रावली एक हाफ्ती अदम पेशी में खारिज की जाती है नियम के फैसला सुनाया गया। पत्रावली के फैसलशुदा होकर नम्बर के तौर होकर बाद तरतीब नस्ती दाखिल दफ्तर हो।	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर